न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 51/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

रकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा
2. अमित कुमार तोषनीवाल पुत्र राजेन्द्र तोषनीवाल मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा
3. मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा

– प्रार्थी

–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री ओम प्रकाश देवानी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 06.09.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल नमकीन निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की नमकीन मिठाई आदि का विकय कर रहा था। संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर एक स्टील के टेंक में लगभग 200 किलोग्राम रिफाईण्ड राईस ब्रान ऑयल विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 22.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 19.09.2022 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल में Saponification value – 210.05 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह 189.0 से 195.0 होना चाहिये था। इसी प्रकार रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल में Iodine value – 108.08 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह 120.0 से 141.0 होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण संस्थान से सैंपल जांच हेतु लेना गलत और नियम विरूद्व हैं। क्योंकि यहां पर खाद्य सामग्री का विक्रय उपभोक्ता को नही किया जाता हैं। विक्रेता उक्त खाद्य सामग्री का निर्माता नही हैं एवं न ही इसका व्यापार करता हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस तेल का नमूना लिया गया है वह नमकीन निर्माण के पश्चात् बचा हुआ तेल था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर तैयार किये गये फार्म नंबर 5 ए से भी इस बात की पुष्टि होती हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यूज्ड कूकिंग ऑयल का नमूना प्राप्त किया हैं। जिस तेल की जांच की गयी वह यूज्ड कूकिंग ऑयल का नमूना था, न की शुद्व राईस ब्राईन ऑयल। उक्त निर्माण संस्थान द्वारा केन्द्रीय खाद्य लायसेंस प्राप्त कर रखा हैं, इस संबंध में केन्द्रीय परिपत्र दिनांक 02.12.2021 अनुसार केन्द्रीय खाद्य लाईसेंस प्राप्त संस्थान में स्टेट फूड अथोरिटी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना कार्यवाही नही कर सकेगें। इसके बावजूद भी नमूना लिया गया जो विधि विरूद्व हैं। निवेदन हैं कि विपक्षी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./543/एक्ट/2022/393 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल में Saponification value – 210.05 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह**

189.0 से 195.0 होना चाहिये था। इसी प्रकार रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल में Iodine value – 108.08 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह 120.0 से 141.0 होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइन्ड राईस ब्रान ऑयल का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 10,000/रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
2 संजय कुमार पाण्डया पुत्र सत्यनारायण पाण्डया मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
3 अमित कुमार तोषनीवाल पुत्र राजेन्द्र तोषनीवाल मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं. कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
4 मैसर्स फैशन सूटींग्स प्रा.लि. एसपी – 6,8, 8ए रिको ग्रोथ सेन्टर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा